

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 928]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 10, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 दिसम्बर 2025

सूचना

क्रमांक RULE/170/2025-HOUSING .— छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस-2-23, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 38 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) **भूमि उपयोग वर्गीकरण में परिसर का अनुज्ञात उपयोग** — इस नियम के अन्य प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए, निम्नलिखित उद्योगों को आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाता है, —

(एक) आवासीय उपयोग परिक्षेत्र में, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एवं ब्लू श्रेणी में वर्गीकृत उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(दो) वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र में, रेड एवं ऑरेंज श्रेणी में वर्गीकृत उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

टीप :- उद्योगों का रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू श्रेणियों में वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार होगा।”

2. परिशिष्ट-ठ के खण्ड ठ-6 में, अंक “100” के स्थान पर, अंक “1000” प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 दिसम्बर 2025

क्रमांक RULE/170/2025-HOUSING .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-12-2025 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 1st December 2025

NOTICE

No. RULE/170/2025-HOUSING.— The following draft further to amend the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 read with sub-section (1) of Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion, regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, in the office of the Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. S-2-23, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nava Raipur Atal Nagar, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said Rules, -

1. In sub-rule (1) of rule 38, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) **Permitted use of premises in land use classification-** Subject to other provision of this rule, following Industries shall be restricted in residential and commercial use zones,-

- (i) Industries categorized under Red, Orange, Green and Blue category shall not be permitted in residential use zones.
- (ii) Industries categorized under Red, Orange category shall not be permitted in commercial use zones.

Note:- The Categorization of Industries as Red, Orange, Green, White and Blue shall be as notified by Chhattisgarh Environment Conservation Board from time to time."

2. In clause L-6 of Appendix-L, for the figure "100", the figure "1000" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.